न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जिला–जोधपुर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री जवाहर राम चौधरी, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या : 2021/43

–: प्रार्थी :– बनाम –: अप्रार्थी :

तिलाराम पुत्र आदूराम जाति जाट — तहसीलदार भोपालगढ़

निवासी रतकुड़िया तहसील भोपालगढ़

जिला जोधपुर

राजस्व प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

–:: निर्णय ::– दिनॉक:–07/04/2021

प्रार्थी तिलाराम द्वारा प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 131 एवं 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर निवेदन किया कि डीआईएलआरएमपी के तहत ग्राम रतकुड़िया के खसरा नं. 1624/9 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा नं. 1624/12 रकबा 0.0243 हैक्टेयर भूमि की तरमीम हल्का पटवारी द्वारा गलत दर्ज कर दी गयी है, साथ ही प्रार्थी द्वारा गलत तरमीम व प्रस्तावित सही तरमीम का नजरी नक्शा पेश कर सही स्थिति अनुसार तरमीम शुद्ध करने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार भोपालगढ़ से प्रार्थी के प्रार्थनापत्र में जवाब प्राप्त किया गया। तहसीलदार भोपालगढ़ द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थनापत्र में संलग्न पटवारी पटवार मण्डल रतकुड़िया एवं भू अभिलेख निरीक्षक भोपालगढ़ की रिपोर्ट के आधार पर एवं राजस्व रेकर्ड के अनुसार खसरा नक्शा भूमि में तरमीम दुरूस्ती की अनुशंसा की गयी।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र मय दस्तावेज तथा तहसीलदार भोपालगढ़ द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थनापत्र मय दस्तावेज का अवलोकन किया। तहसीलदार भोपालगढ़ द्वारा की गयी तरमीम दुरूस्ती की अनुशंसा के आधार पर तरमीम शुद्ध किये जाने का आदेश देना हम उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 131 एवं 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाता है तथा पटवारी पटवार मण्डल रतकुड़िया एवं भू अभिलेख निरीक्षक भोपालगढ़ की रिपोर्ट एवं तहसीलदार भोपालगढ़ की अनुशंसा के आधार पर एवं राजस्व रेकर्ड के अनुसार तहसीलदार भोपालगढ़ को खसरा नक्शा भूमि में तरमीम दुरूस्ती करने के आदेश दिये जाते है। पटवारी पटवार मण्डल रतकुड़िया, भू अभिलेख निरीक्षक भोपालगढ़ की रिपोर्ट एवं तहसीलदार भोपालगढ़ का जवाब प्रार्थनापत्र निर्णय का भाग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

निर्णय आज दिनांक 07/04/2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.07.05 18:21:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)